दिनांक 13.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0बिटुमिन अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गैंग के 06 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 13–11–2025 को एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा कालाबाजारी के उद्देश्य से अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (बिटुमिन) की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 06 सक्रिय सदस्यों को भारी मात्रा में अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ आदि के साथ जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– पवन सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह पुत्र जज्जो उर्फ सुरेश सिंह निवासी भोडरसू थाना रिफाइनरी मथुरा।

2– रणवीर पुत्र मानसिंह बघेल निवासी डालौली पोस्ट गंगापुर जिला हाथरस।

3– सुशील कुमार प्रजापति पुत्र राजेश कुमार निवासी घोरहरा पोस्ट गजना थाना अरोल जिला कानपुर नगर।

4– सतीश कुमार पुत्र कुंवर पाल सिंह निवासी दरौली थाना हसायन जिला हाथरस।

5– बंटी पुत्र परसू निवासी बेरी थाना फरेंड जिला मथुरा।

6– देवी सिंह पुत्र परसूती निवासी बरौदा थाना फरेंद जिला मथुरा।

बरामदगीः–

1– 252 बोरी सफेद मार्बल डस्ट (लगभग 126 कुंटल–बिटुमिन आयल मे मिलाकर अपमिश्रित तारकोल बनाने के लिए)

2– 02 अदद टैंकर बिटुमिन आयल से भरा हुआ।

3– 22.050 टन तारकोल टैंकर संख्या यूपी 85 एटी 3606

4– 31.500 टन लदा तारकोल (टैंकर संख्या यूपी 85 एफटी 9549)

5– 02 अदद अन्य मशीनरी उपकरण (अपमिश्रित तारकोल भरने के लिए)

6– 01 अदद मिक्सर मशीनरी यन्त्र (अपमिश्रित तारकोल भरने के लिए)

7– 02 लोहे के कंटेनर (मिश्रण करने के लिये)

8– 02 अदद प्लास्टिक के बड़े ड्रम (अपमिश्रित तारकोल भरने के लिए)

9— 08 अदद कटे लोहे के बड़े ड्रम (अपमिश्रित तारकोल भरने के लिए)

10— एक बड़ा जनरेटर (तारकोल को टैंकर से कन्टेनर में डालने के लिए)

11— 06 अदद मोबाइल

12— नकद 8,300 रुपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान–</u>

दिनांक 13—11—2025 को कबीर कोल्ड स्टोर के पीछे ईंट भट्ठा थाना क्षेत्र अरौल, जनपद कानपुर नगर।

एसटीएफ,उत्तर प्रदेश को विगत समय से अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ मुख्यालय लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में निरीक्षक श्री दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ०नि० विनोद सिंह, उ०नि० अशोक कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल रूद्र नारायण उपाध्याय, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, रवि वर्मा, विजय वर्मा, की एक टीम कानपुर नगर में भ्रमणशील थी। इस संबध में सूचना प्राप्त हुई कि कबीर कोल्ड स्टोर के पीछे ईंट भट्ठा थाना क्षेत्र अरौल, जनपद कानपुर में अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (डामर) से भरे 02 टैंकर, जो फैक्ट्री में बिटुमिन खाली करने व मिक्स करने के बाद बिटुमिन भरने हेतु खड़े है, अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए श्री अक्षय कुमार, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, श्री मनोज सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, आपूर्ति विभाग, श्री ओम प्रकाश राणा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, तहसील बिल्लौर, दिनेश कुमार वर्मा पूर्ति निरीक्षक, तहसील बिल्लौर एवं प्रभारी निरीक्षक श्री जनार्दन सिंह यादव, थाना अरौल, जनपद कानपुर नगर को साथ लेकर उपरोक्त स्थान से 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से व्यापार करना उ०प्र० हाईस्पीड डीजल ऑयल एण्ड लाइट डीजल ऑयल (मेंटीनेंस ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 1981 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता की 111 (2) बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

सम्बन्धित विभाग द्वारा बताया गया कि बिटुमिन आयल और मार्बल पाउडर से बनाये गए तारकोल में संरचनात्मक गुणवत्ता में कमी के कारण सड़के कमजोर बनती है व उनकी स्थायित्व क्षमता में गिरावट व सड़क की परतों में बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम होने के कारण मजबूती और टिकाऊपन नही रहता है। इनके द्वारा सप्लाई किये गये खराब विटुमिन के कारण थोडी ही बारिष में सड़के पूरी तरह से खराब हो जाती है, इससे सरकार को भारी आर्थिक हानि व आम जनमानस को भारी मुसीबतो का सामना करना पड़ता है।

मुख्य अभियुक्त पवन सिंह उर्फ राजेंदर, चालक व सहयोगी कर्मियों ने पूछतॉछ पर बताया कि यह लोग मथुरा रिफाईनरी से बिटुमिन लोड कर गन्तव्य स्थान पर पहुॅचने से पहले फैक्ट्री में एक टैंकर से 07–08 ड्रम बिटुमिन निकाल कर उसमें मिक्सर मशीन में सफेद पाउडर मिलाकर तैयार कर टैंकर में भर देते हैं। इस फैक्ट्री में यह लोग मिक्सर मशीन में सफेद पाउडर (मारबल पाउडर) मिलाकर बिटुमिन तैयार कर मथुरा, हरदोई, फरुक्खाबाद, उन्नाव, कन्नौज व आसपास के जनपदों में सप्लाई कर कालाबाजारी करते है। इस काम में काफी मुनाफा होता है, इसी कारण यह काम पिछले काफी समय से करते आ रहे है, जिसमे प्रतिदिन 08–10 टैंकरों से बिटुमिन आयल काटकर लगभग 70–80 हजार का मुनाफा कमाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना अरौल, जनपद कानपुर नगर में मु0अ0सं0 0213/2025 धारा 111(2) बी, बीएनएस 2023 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना मालीपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 12/13.11.2025 की रात्रि थाना मालीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झारखण्डी बाबा तिराहा के पास बदमाशों की

घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शमशेर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त हर्षित सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शमशेर शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मालीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मालीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमशेर निवासी ग्राम मझगवा थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर।

2—हर्षित निवासी कैमासपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मैनपुरी/थाना औंछा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 697 ग्राम अवैध गांजा**
- **04 हजार 600 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **01 केन्टर बरामद**

दिनांक 12.11.2025 को थाना औंछा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पडरिया चौराहा के पास से अभियुक्त शिवम उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया एवं एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 697 ग्राम अवैध गांजा, 04 हजार 600 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 केन्टर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना औंछा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम उर्फ भोला निवासी ग्राम मोहनपुर थाना सकरौली जनपद एटा।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 697 ग्राम अवैध गांजा।

2–04 हजार 600 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

3–01 केन्टर।

- **जनपद फतेहपुर/थाना गाजीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमरपाल को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद देवरिया/थाना भलुअनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना भलुअनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामआश्रय को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदेश लोधी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद झाँसी/थाना बरूआसागर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद झाँसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद झाँसी द्वारा थाना बरूआसागर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————